

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री नीरज मिश्र, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2018/566
प्रार्थीगण

बनाम

दिनांक - 13/03/18
विप्रार्थीगण

1 जयन्तीलाल पुत्र रूपाराम वगैराह जाति सांसी निवासी सांसियों का तला (महाबार) तहसील व जिला बाड़मेर हाल निवासी सरखेज, अहमदाबाद (गुजरात)।

1 गुलाबाराम पुत्र किशनाराम वगैराह जाति सांसी निवासी सांसियों का तला (महाबार) तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी करत राजस्व आवेदन संख्या :- 1356/2017

दिनांक-09/03/18

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा सांसियों का तला पटवार क्षेत्र महाबार तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 668 रकबा 02.08 बीघा, खसरा संख्या 671 रकबा 54.11 बीघा व खसरा संख्या 1049/672 रकबा 16.08 बीघा कुल रकबा 73.07 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।




(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

दिनांक- 13/03/18

क्रमांक :- रीडर/2018/567-70

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करे।
2. पटवारी महाबार तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावे।
3. जयन्तीलाल पुत्र रूपाराम वगैराह जाति सांसी निवासी सांसियों का तला (महाबार) तहसील व जिला बाड़मेर हाल निवासी सरखेज, अहमदाबाद (गुजरात)।
4. विप्रार्थी गुलाबाराम पुत्र किशनाराम वगैराह जाति सांसी निवासी सांसियों का तला (महाबार) तहसील व जिला बाड़मेर।


उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर